कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा / संस्था / सी–8 / विविध / 2021 दिनांक : 08-02-2022

समस्त संयुक्त निदेशक
शिक्षा विभाग।

विषय :– व्याख्याताओं से सम्बन्धित प्रकरण में व्याख्याता के विषय का अंकन आवश्यक रूप से करवाने बाबत्।

प्रसंग :– क्रमांक : शिविरा–मा / संस्था / सी–8 / विविध / 2017 दिनांक : 11.04.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगानुसार लेख है कि इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र दिनांक : 11.04.2018 के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि व्याख्याताओं के प्रेषणीय प्रकरणों में व्याख्याताओं के सम्बन्धित विषय का अंकन आवश्यक रूप से किया जाएं तथा इस कार्यालय में व्याख्याताओं के प्रकरणों के निस्तारण की व्यवस्था विषयवार होने के कारण प्रकरण विषयवार पृथक–पृथक ही प्रेषित किए जाएं।

परन्तु खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि आपके कार्यालय से प्राप्त कई प्रकरणों में व्याख्याताओं के विषय का अंकन आज भी नहीं होता है तथा विभिन्न विषयों में कार्यरत व्याख्याताओं के प्रकरण एक साथ प्रेषित कर दिए जाते है। आप द्वारा प्रेषित प्रकरणों में विषय सम्बन्धी विशिष्टियों का अंकन न होने तथा अलग–अलग विषय के व्याख्याताओं के प्रकरण एक साथ भेजने के कारण उनके विषय की जानकारी जुटाने व विभिन्न विषय के समेकित प्रकरणों को उनके विषयानुसार अलग–अलग करने में अनावश्यक श्रम व समय की हानि होती है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में निदेशालय को प्रकरण प्रेषित करने से पूर्व इस बात की भली–भांति जांच कर लेवें कि सम्बन्धित के विषय का अंकन कर दिया गया है तथा विभिन्न विषयों के समेकित प्रकरण न भेजकर विषयवार पृथक–पृथक प्रकरण ही निदेशालय को प्रेषित करावें। आप द्वारा विषय का अंकन न होने की स्थिति में किसी भी प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही में विलम्ब होने की स्थिति या विपरीत स्थितियों के लिए आपका व्यक्तिशः दायित्व निर्धारित किया जाएगा।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
2. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6. विधि समन्वयक, अनुभाग हाजा को इस कार्यालय के निर्देश पत्र क्रमांक : शिविरा–माध्य / निजी / निर्देश / 2018 दिनांक : 03.01.2018 एवं क्रमांक : शिविरा–माध्य / निजी / निर्देश / 2016 दिनांक : 23.02.2016 के क्रम में न्यायालय वाद से सम्बन्धित प्रकरण प्राप्ति दिवस को ही सम्बन्धित लिपिक से प्राप्त कर यथावश्यक आगामी कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।